पत्र संख्या–6/योजना–01–1019/2012 गृ0आ0..................../

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक जनवरी, 2016

विषयः– **राज्य में थाना स्तर पर मिस्ट टेक्नोलॉजी का अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए कर्णांकित शेष 28 अद्द चेसिस के क्रय हेतु कुल लागत राशि ₹ 166.60 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख साठ हजार रू0) में से तत्काल बजट में उपबंधित ₹ 36,97,600 (छत्तीस लाख संतानवे हजार छह सौ रू0) विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में भीषण अग्निकाण्ड की घटनाओं के रोक–थाम के उद्देश्य से गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–9968, दिनांक– 28.12.2012 द्वारा राज्य के सभी 881 थानों में मिस्ट टेक्नोलॉजी का एक–एक अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराने हेतु 4 चरणों में 881 मिस्ट टेक्नोलॉजी का अग्निशामक वाहन के लिए 881 अद्द चेसिस का क्रय लागत राशि ₹ 4405.00 लाख (चौवालीस करोड़ पाँच लाख रू0) तथा फेब्रिकेशन का लागत राशि ₹ 4405.00 लाख (चौवालीस करोड़ पाँच लाख रू0) कुल ₹ 8810.00 लाख (अठासी करोड़ दस लाख रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

2. अग्निशाम सेवा मुख्यालय के पत्रांक–283, दिनांक–18.01.2015 के आलोक में राज्य में 881 थाना में मिस्ट टेक्नोलॉजी का अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 का शेष 28 अद्द क्रय किये गये चेसिसों का प्रति अद्द ₹ 5.95 लाख की दर से कुल ₹ 166.60 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख साठ हजार रू0) में से तत्काल बजट में उपबंधित राशि ₹ 36,97,600 (छत्तीस लाख संतानवे हजार छह सौ रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

3. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 36,97,600 (छत्तीस लाख संतानवे हजार छह सौ रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट मुख्य शीर्ष–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–108–अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण–उपशीर्ष–0102–अग्निशामक उपकरणो का क्रय'' विषयशीर्ष–52 01–मशीने एवं उपस्कर, विपत्र कोड–P2070001080102 योजना स्कीम कोड–HOM-5418 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहीत विपत्र पर की जायेगी।

6. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0:–6/योजना–01–1019/2012 गृ0आ0 841 /पटना, दिनांक 3/2 ~~जनवरी~~, 2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षावाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना/समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना/आई0टी0 मैंनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव
1/2/16